



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17112025-267707
CG-DL-W-17112025-267707

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 41] नई दिल्ली, नवम्बर 9—नवम्बर 15, 2025, शनिवार/कार्तिक 18—कार्तिक 24, 1947
No. 41] NEW DELHI, NOVEMBER 9—NOVEMBER 15, 2025, SATURDAY/KARTIKA 18—KARTIKA 24, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 179.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग), सहायक आयुक्त (जहाजरानी) भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, राष्ट्रपति एतद्वारा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में सहायक आयुक्त (जहाजरानी) पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :

- 1 संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—(1) इन नियमों को रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग), सहायक आयुक्त (जहाजरानी) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 कहा जाएगा।
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल- उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में उनसे संबद्ध लेवल इन नियमों की संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) तक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद के लिये भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. निरर्हता - वह व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह का करार किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित हो;
अथवा
(ख) जिसने, पति/पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह का करार किया हो, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक आयुक्त (जहाजरानी)	01* (2025) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यक्षीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा अननुसचिवीय राजपत्रित समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रु.) में लेवल 11	लागू नहीं

सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किस ग्रेड से किया जाना है।
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	सम्मिश्र पद्धति [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) अथवा पदोन्नति द्वारा]।	सम्मिश्र पद्धति [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) अथवा पदोन्नति से]: 1. केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों

		अथवा सांविधिक संगठन अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में कार्यरत ऐसे अधिकारी: (क) (I) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; अथवा (II) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स (56100-177500 रुपए) में लेवल 10 के सदृश ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों: अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की डिग्री; (ii) पांच वर्ष का अनुभव जिसमें से (क) जहाजरानी अथवा जहाजों के अवक्रय अथवा बंदरगाह प्रचालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। (ख) दो वर्ष का प्रशासनिक कार्यानुभव। वांछनीय: नरोत्तमदाज मोरारजी शिपिंग संस्थान मुंबई अथवा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार (पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान अथवा जहाजरानी मंत्रालय द्वारा जहाजरानी में एसोसिएटशिप अथवा फेलोशिप अथवा डिप्लोमा। टिप्पणी 1: बाह्य अभ्यर्थियों के साथ-साथ वेतन मैट्रिक्स (56100-177500) के लेवल 10 में ऐसे विभागीय सहायक निदेशक (जहाजरानी) पर विचार किया जाएगा जिनकी उक्त ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा हो तथा जो प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव रखते हों। यदि पद पर नियुक्ति हेतु विभागीय उम्मीदार का चयन कर लिया जाता है तो उस मामले में उसे पदोन्नति द्वारा भरा गया पद माना जाएगा। टिप्पणी 2: इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा केंद्रीय सरकार के किसी विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
--	--	---

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना क्या है?	भर्ती के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
लागू नहीं	संघ सेवा आयोग के साथ परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12011/04/2018- स्था.]

मनीष कुमार चौरसिया, अवर सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Fertilizers)**

New Delhi, the 23rd October, 2025

G.S.R. 179.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Fertilizers), Assistant Commissioner (Shipping) Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Commissioner (Shipping) in Department of Fertilizers, Ministry of Chemical and Fertilizers namely:-

1. Short title and commencement – (1) These rules may be called the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Fertilizers), Assistant Commissioner Shipping) (Group ‘A’ post), Recruitment Rules, 2025

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. - The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for the reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Commissioner (Shipping).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non-Ministerial.	Level -11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) .	Not applicable.	. Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of the promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By composite method, [By deputation (including short-term contract) or promotion].

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Composite method [deputation (including short-term contract) or promotion]: Officers of the Central Government or the State Government or the Union territory Administrations or public sector undertakings or autonomous body or statutory organisation or recognised University or recognised research institute,- (A) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-10 in the pay matrix (Rs.56100- 177500) or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience: Essential: (i) Bachelor's degree in any discipline from a recognised University or institute; and (ii) five years' experience out of which- (a) minimum three years' experience of shipping or chartering of ships or Port operations; and (b) two years' of administrative work experience. Desirable : Associateship or Fellowship or Diploma in Shipping from the Narottam Das Morarji Institute of Shipping, Mumbai or any other institute recognized by the Government of India, Ministry of Education (previously Ministry of Human Resource Development) or Ministry of Shipping. Note 1: The Departmental Assistant Director (Shipping) in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) with five years regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the Departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been Filled by promotion.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Note 2: Period of deputation(including short-term contract) including period of deputation(including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--

[F. No. A-12011/04/2018-Estt.]

MANISH KUMAR CHOURASIYA, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 180.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, अनुसंधान सहायक (भौतिक रसायन) भर्ती नियम, 2018; राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक रसायन) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2018; राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, आचार्य (कृषि रसायन), सहायक आचार्य (कृषि रसायन) और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कृषि रसायन) भर्ती नियम, 2019, में जहां तक उनका कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कृषि रसायन) के पदों से संबंध है; राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, आचार्य (जैव रसायन), सहायक आचार्य (जैव रसायन), कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव रसायन) और अनुसंधान सहायक (जैव रसायन) भर्ती नियम, 2019, में जहां तक उनका कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव रसायन) और अनुसंधान सहायक (जैव रसायन) के पदों से संबंध है; और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, आचार्य (कार्बनिक रसायन), सहायक आचार्य (कार्बनिक रसायन), कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कार्बनिक रसायन) और अनुसंधान सहायक (कार्बनिक रसायन) भर्ती नियम, 2019, में जहां तक उनका कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कार्बनिक रसायन) और अनुसंधान सहायक (कार्बनिक रसायन) के पदों से संबंध है, का उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कार्बनिक रसायन), कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कृषि रसायन), कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव रसायन), कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक रसायन), अनुसंधान सहायक (कार्बनिक रसायन), अनुसंधान सहायक (भौतिक रसायन) और अनुसंधान सहायक (जैव रसायन) के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कार्बनिक रसायन), कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कृषि रसायन), कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव रसायन), कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक रसायन), अनुसंधान सहायक (कार्बनिक रसायन), अनुसंधान सहायक (भौतिक रसायन) और अनुसंधान सहायक (जैव रसायन), समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना - ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता- वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति-जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कार्बनिक रसायन)	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये)

चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु -सीमा
(5)	(6)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी
(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा और विभिन्न जाने वाली पद्धतियों द्वारा भरी रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती कि दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
प्रोन्नतों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ प्रोन्नति द्वारा	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/प्रोन्नति,- केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों अथवा स्वायत्त निकायों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी,- (क)(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करने वाले; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 9 (53100 – 167800 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 8 (47900 – 151100 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iv) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (44900-142000 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; अथवा (v) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (35400-112400 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखने वाले, अर्थात्:- (i) अनिवार्य: (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कार्बनिक रसायन अथवा एक प्रश्न-पत्र के रूप में कार्बनिक रसायन के साथ रसायन में स्नातकोत्तर उपाधि; और (ख) शर्करा कारखाने अथवा आसवनी अथवा अन्य संबंधित औद्योगिक में तीन वर्ष का कार्य अनुभव अथवा स्नातक स्तर पर तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव अथवा कार्बनिक रसायन में अनुसंधान कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।

		(ii) वांछनीयः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन में वाचस्पति । टिप्पण 1: विभागीय अनुसंधान सहायक (कार्बनिक रसायन) वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6 (रु. 35400 – 112400) में, जिसने दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो तथा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखता हो, को बाह्य उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय उम्मीदवार को उक्त पद पर नियुक्ति के लिए चयनित किया जाता है, तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। टिप्पण 2.-प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3.-प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर सचिव (शर्करा) या संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग - अध्यक्ष; 2. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य; 3. निदेशक अथवा उप सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कृषि रसायन)	01* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये)

(5)	(6)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)
प्रोन्नतों के लिए दो वर्ष ।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ प्रोन्नति द्वारा	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/प्रोन्नति,- केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों अथवा स्वायत्त निकायों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी,- (क)(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करने वाले; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 9 (53100 – 167800 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 8 (47900 – 151100 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iv) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (44900-142000 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; अथवा (v) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (35400-112400 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात् :- (i) अनिवार्य: (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय

		अथवा संस्थान से जैव रसायन स्नातकोत्तर उपाधि; और (ख) शर्करा कारखाने अथवा आसवनी अथवा अन्य संबंधित औद्योगिक इकाइयों में तीन वर्ष का कार्य अनुभव अथवा स्नातक स्तर पर तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव अथवा जैव रसायन में अनुसंधान कार्य का तीन वर्ष का अनुभव। (ii) वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जैव रसायन में वाचस्पति। टिप्पण 1: विभागीय अनुसंधान सहायक (जैव रसायन) वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6 .रु) 35400 – 112400) में, जिसने दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो तथा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखता हो, को बाह्य उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय उम्मीदवार को उक्त पद पर नियुक्ति के लिए चयनित किया जाता है, तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	---

(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:- 1. अपर सचिव (शर्करा) अथवा संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग - अध्यक्ष; 2. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य; 3. निदेशक अथवा उप सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव रसायन)	01* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसूचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये)

(5)	(6)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)
प्रोन्नतों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / प्रोन्नति द्वारा	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/प्रोन्नति,- केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों अथवा स्वायत्त निकायों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी,- (क)(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करने वाले; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 9 (53100 – 167800 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 8 (47900 – 151100 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की हो; अथवा

		(iv) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (44900-142000 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; अथवा (v) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (35400-112400 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात् :- (i) अनिवार्य: (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जैव रसायन स्नातकोत्तर उपाधि; और (ख) शर्करा कारखाने अथवा आसवनी अथवा अन्य संबंधित औद्योगिक इकाइयों में तीन वर्ष का कार्य अनुभव अथवा स्नातक स्तर पर तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव अथवा जैव रसायन में अनुसंधान कार्य का तीन वर्ष का अनुभव। (ii) वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जैव रसायन में वाचस्पति। टिप्पण1: विभागीय अनुसंधान सहायक (जैव रसायन) वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6 (रु.) 35400 - 112400) में, जिसने दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो तथा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं
--	--	---

		एवं अनुभव रखता हो, को बाह्य उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय उम्मीदवार को उक्त पद पर नियुक्ति के लिए चयनित किया जाता है, तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	---

(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:- - अपर सचिव (शर्करा) अथवा संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग - अध्यक्ष; - निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य; - निदेशक अथवा उप सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
4. कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक रसायन)	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये)

(5)	(6)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)
प्रोन्नतों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / प्रोन्नति द्वारा	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/प्रोन्नति,- केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों अथवा स्वायत्त निकायों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी,- (क)(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करने वाले; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 9 (53100 – 167800 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 8 (47900 – 151100 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iv) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (44900-142000 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; अथवा (v) मूल संवर्ग या विभाग

		में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (35400-112400 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात् :- (i) अनिवार्य: (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक रसायन अथवा एक प्रश्न-पत्र के रूप में भौतिक रसायन के साथ रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। (ख) भौतिक रसायन में अनुसंधान कार्य का तीन वर्ष का अनुभव अथवा शर्करा कारखाने अथवा आसवनी अथवा अन्य संबंधित औद्योगिक इकाइयों में तीन वर्ष का कार्य अनुभव अथवा भौतिक रसायन में स्नातक स्तर पर तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव। (ii) वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन शास्त्र में वाचस्पति। टिप्पण1: विभागीय अनुसंधान सहायक (भौतिक रसायन) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रु. 35400-112400) में, जिसने दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो तथा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखता हो, को बाह्य उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय उम्मीदवार को उक्त पद पर नियुक्ति के लिए चयनित किया जाता
--	--	--

		है, तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। टिप्पण 2.-प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3.-प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:- 1. अपर सचिव (शर्करा) अथवा संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग - अध्यक्ष; 2. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य; 3. निदेशक अथवा उप सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
5. अनुसंधान सहायक (कार्बनिक रसायन)	01* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)

(5)	(6)
लागू नहीं होता।	तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अधिकतम आयु-सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।) टिप्पण: कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु सीमा अवधारित करने हेतु निर्णायक होगी।

(7)	(8)
अनिवार्यः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कार्बनिक रसायन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा कार्बनिक रसायन के रूप में एक प्रश्न-पत्र के साथ रसायन में स्नातकोत्तर उपाधि। टिप्पणः अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
दो वर्ष। टिप्पणः परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणः पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी: (क)(i) जो नियमित आधार पर मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण कर रहे हैं; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु. 29200-92300) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।	लागू नहीं होता।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:- - निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष; - आचार्य अथवा समतुल्य श्रेणी का अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य; - वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
6. अनुसंधान सहायक (भौतिक रसायन)	01* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)

(5)	(6)
लागू नहीं होता।	तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अधिकतम आयु-सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।) टिप्पण: कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु सीमा अवधारित करने हेतु निर्णायक होगी।

(7)	(8)
अनिवार्य: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक रसायन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा भौतिक रसायन के रूप में एक प्रश्न-पत्र के साथ रसायन में स्नातकोत्तर उपाधि। टिप्पण: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)
दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी: (क)(i) जो नियमित आधार पर मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण कर रहे हैं; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु. 29200-92300) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।	लागू नहीं होता।

(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:- - निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष; - आचार्य अथवा समतुल्य श्रेणी का अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य; - वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
7. अनुसंधान सहायक (जैव रसायन)	01* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)

(5)	(6)
लागू नहीं होता।	तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अधिकतम आयु-सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।) टिप्पण: कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु सीमा-अवधारित करने हेतु निर्णायक होगी।

(7)	(8)
अनिवार्य: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जैव रसायन में स्नातकोत्तर उपाधि। टिप्पण : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)
दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी: (क)(i) जो नियमित आधार पर मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण कर रहे हैं ; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु. 29200-92300) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; और ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।	लागू नहीं होता।

(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:- 1. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – अध्यक्ष; 2. आचार्य अथवा समतुल्य श्रेणी का अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – सदस्य; 3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/6/2024- एसए]

अनिल कुमार गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Food and Public Distribution)**

New Delhi, the 7th November, 2025

G.S.R. 180.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, National Sugar Institute, Kanpur, Research Assistant (Physical chemistry) Recruitment Rules, 2018; the National Sugar Institute, Junior Scientific Officer (Physical chemistry) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2018, the National Sugar Institute, Kanpur, Professor (Agriculture Chemistry), Assistant Professor (Agriculture Chemistry) and Junior Scientific Officer (Agriculture Chemistry), Recruitment Rules, 2019, in so far as they relate to the post of Junior Scientific Officer (Agriculture Chemistry), the National Sugar Institute, Kanpur, Professor (Biochemistry), Assistant Professor (Biochemistry), Junior Scientific Officer (Biochemistry) and Research Assistant (Biochemistry) Recruitment Rules, 2019, in so far as they relate to the posts of Junior Scientific Officer (Biochemistry) and Research Assistant (Biochemistry); and the National Sugar Institute, Kanpur, Professor (Organic chemistry), Assistant Professor (Organic chemistry), Junior Scientific Officer (Organic chemistry) and Research Assistant (Organic chemistry) Recruitment Rules, 2019, in so far as they relate to the posts of Junior Scientific Officer (Organic chemistry) and Research Assistant (Organic chemistry), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the posts of Junior Scientific Officer (Organic Chemistry), Junior Scientific Officer (Agriculture Chemistry), Junior Scientific Officer (Biochemistry), Junior Scientific Officer (Physical Chemistry), Research Assistant (Organic Chemistry), Research Assistant (Physical Chemistry) and Research Assistant (Biochemistry) in the National Sugar Institute, Kanpur, Department of Food and Public Distribution under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distributions, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, National Sugar Institute, Kanpur, Junior Scientific Officer (Organic Chemistry), Junior Scientific Officer (Agriculture Chemistry), Junior Scientific Officer (Biochemistry), Junior Scientific Officer (Physical Chemistry), Research Assistant (Organic Chemistry), Research Assistant (Physical Chemistry) and Research Assistant (Biochemistry), Group 'A' and 'B' Posts, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** -Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Junior Scientific Officer (Organic Chemistry).	1* (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two year for promotees.	By deputation (including short-term contract) / promotion.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Deputation (including short-term contract)/promotion: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution, - (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level -9 in the pay matrix (Rs. 53100 – 167800) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with four years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level – 8 in the pay matrix (Rs. 47600 – 151100) or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level -7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; or (v) with ten years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: - (i) Essential: (A) Master's degree in Organic Chemistry or Chemistry with Organic Chemistry as one of the papers from a recognised University or institute; and (B) three years working experience in sugar factory or distillery or any other related industry or three years teaching experience at degree level or three years research work in Organic Chemistry. (ii) Desirable: Doctorate in Chemistry from a recognised University or Institute. Note 1: The Departmental Research Assistant (Organic Chemistry) in level – 6 in the pay matrix (Rs. 35400 – 112400) with ten years regular service in the grade and having the educational qualifications and experience

prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Additional Secretary (Sugar) or Joint Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution - Chairperson; 2. Director, National Sugar Institute, Kanpur - Member; 3. Director or Deputy Secretary, Department of Food and Public Distribution - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Junior Scientific Officer (Agriculture-Chemistry).	01* (2025) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).

(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for promotees.	By deputation (including short-term contract)/promotion.

(11)
Deputation (including short-term contract)/promotion, - Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution,- (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the said post on a regular basis in level –9 in the pay matrix (Rs. 53100 – 167800) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with four years service rendered after appointment to the said post on a regular basis in level – 8 in the pay matrix (Rs. 47900 – 151100) or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with five years service rendered after appointment to the said post on a regular basis in level -7 in the pay matrix (44900-142000) or equivalent in the parent cadre or department; or (v) with ten years service rendered after appointment to the said post on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the followings educational qualifications and experience, namely: - (i) Essential: (A) Master's degree in Agriculture Chemistry or Agronomy or Plant Breeding with Genetics from a recognised University or Institute; and (B) Three years experience of research work in Agriculture Chemistry or three years working experience in sugar factory or distillery or other related industrial units or three years teaching experience at degree level in Agriculture Chemistry.

(ii) Desirable:

Doctorate in Agriculture Chemistry or Agronomy or Plant Breeding with Genetics from a recognised University or institute.

Note 1: The Departmental Research Assistant (Agriculture Chemistry) in level – 6 in the pay matrix (Rs. 35400 – 112400) with ten years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; It shall be treated as having been filled by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Additional Secretary (Sugar) or Joint Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution - Chairperson; 2. Director, National Sugar Institute, Kanpur -Member; 3. Director or Deputy Secretary, Department of Food and Public Distribution -Member	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Junior Scientific Officer (Biochemistry).	01* (2025) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).

(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for promotees.	By deputation (including short-term contract) or promotion.

(11)
Deputation (including short-term contract)/ promotion: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised Institution, - (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the said post on a regular basis in level –9 in the pay matrix (Rs. 53100 – 167800) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii)with four years service rendered after appointment to the said post on a regular basis in level – 8 in the pay matrix (Rs. 47600 – 151100) or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with five years service rendered after appointment to the said post on a regular basis in level -7 in the pay matrix (Rs.44900-142000) or equivalent in the parent cadre or department; or (v) with ten years service rendered after appointment to the said post on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: - (i) Essential: (A) Master's degree in Biochemistry from a recognised University or institute.; and

(B) three years working experience in sugar factory or distillery or any other related industry or three years teaching experience at degree level or three years research work in Biochemistry.

(ii) Desirable:

Doctorate in Biochemistry from a recognised University or institute.

Note : 1The Departmental Research Assistant (Biochemistry) in level – 6 in the pay matrix (Rs. 35400 – 112400) with ten years of regular service in the grade and possessing the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Additional Secretary (Sugar) or Joint Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution - Chairperson; 2. Director, National Sugar Institute, Kanpur -Member; 3. Director or Deputy Secretary, Department of Food and Public Distribution -Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
4. Junior Scientific Officer (Physical Chemistry).	1* (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).

(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for promotees.	By deputation (including short-term contract)/promotion.

(11)
Deputation (including short-term contract)/promotion. Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisation or public sector undertaking or recognised University or recognised research institution, - (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the said post on a regular basis in level – 9 in the pay matrix (Rs. 53100 – 167800) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with four years service rendered after appointment to the said post on a regular basis in level – 8 in the pay matrix (Rs. 53100 – 151100) or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with five years service rendered after appointment to the said post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900- 142400) or equivalent in the parent cadre or department; or (v) with ten years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6 (Rs. 35400 – 112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: -

(i) Essential: (A) Master's degree in Physical Chemistry or Chemistry with Physical Chemistry as one of the papers from a recognised University or institute. (B) Three years experience of research work in Physical Chemistry or three years working experience in sugar factory or distillery or other related industrial units or three years teaching experience at degree level in Physical Chemistry. (ii) Desirable: Doctorate in Chemistry from a recognised University or institute. Note 1: The Departmental Research Assistant (Physical Chemistry) in level – 6 in the pay matrix (Rs. 35400 – 112400) with ten years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Additional Secretary (Sugar) or Joint Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution - Chairperson; 2. Director, National Sugar Institute, Kanpur - Member; 3. Director or Deputy Secretary, Department of Food and Public Distribution - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
5. Research Assistant (Organic Chemistry).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).

(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential: Master's degree in Organic Chemistry or Chemistry with Organic Chemistry as one of the papers from a recognised University or institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. Note : There shall be a mandatory induction training of at least two	By direct recruitment. Note: Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central

	weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	Government, - (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).
--	--	---

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Director, National Sugar Institute, Kanpur -Chairperson; 2. Professor or an officer of equivalent rank, National Sugar Institute, Kanpur -Member; 3. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute Kanpur -Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
6. Research Assistant (Physical Chemistry).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).

(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential: Master's degree in Physical Chemistry or Chemistry with Physical Chemistry as one of the papers from a recognised University or Institute. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. Note: Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in post in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Director, National Sugar Institute, Kanpur -Chairperson; 2. Professor or an officer of equivalent rank, National Sugar Institute, Kanpur -Member; 3. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute Kanpur -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
7. Research Assistant (Biochemistry)	01 *(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).

(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential: Master's Degree in Biochemistry from a recognised University or Institute. Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government, - (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Director, National Sugar Institute, Kanpur – Chairperson; 2. Professor or an officer of equivalent rank, National Sugar Institute, Kanpur – Member; 3. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/6/2024-SA]

ANIL KUMAR GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 181.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, अनुसंधान सहायक (कृषि रसायन) भर्ती नियम, 2018 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में अनुसंधान सहायक (कृषि रसायन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, अनुसंधान सहायक (कृषि रसायन), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होंगे -

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
अनुसंधान सहायक (कृषि रसायन)।	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 . (रु. 35,400-1,12,400/-रु.)

चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	आवश्यक :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि रसायन या कृषि विज्ञान या पादप प्रजनन में आनुवंशिकी के साथ स्नातकोत्तर डिग्री; टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष टिप्पण : परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा: टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्ति केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी। (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300/- रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा है ; और (ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) के अधीन यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
1. समूह 'ख' विभागीय पुष्टी समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -अध्यक्ष; (2) आचार्य या समतुल्य रैंक के अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य; (3) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग के से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/6/2024- एसए]

अनिल कुमार गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 7th November, 2025

G.S.R. 181.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur, Research Assistant (Agriculture Chemistry) Recruitment Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Research Assistant (Agriculture Chemistry) in the National Sugar Institute, Kanpur, Department of Food and Public Distribution, in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distributions, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, National Sugar Institute, Kanpur, Research Assistant (Agriculture Chemistry), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** – The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** -Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay Matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Research Assistant (Agriculture Chemistry).	01* (2025) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 6 (Rs. 35,400-1,12,400/-)

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not exceeding thirty years. (Relaxable for government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note:- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential: Master's degree in Agriculture Chemistry or Agronomy or Plant Breeding with Genetics from a recognised University or institute; Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection commission/ competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation.	By direct recruitment. Note: Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 5 (Rs. 29,200-92,300/-) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.

(11)

Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
1. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:- (1) Director, National Sugar Institute, Kanpur -Chairman; (2) Professor or an officer of equivalent rank, National Sugar Institute, Kanpur -Member; (3) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute Kanpur -Member;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/6/2024-SA]

ANIL KUMAR GUPTA, Under Secy.